Having said this, I would commend this Bill to the acceptance of this House.

MR. CHAIRMAN. The question is :

"That the Bill, *as amended*, be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The Bill is passed. Now we go to the next item—Delhi High Court (Amendment) Bill.

15.46 hrs.

DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Sir, on behalf of Shri Vidya Charan Shukla, I move that the Bill to amend the Delhi High Court Act, 1966, be taken into consideration.

Sir, under Section 5 (2) of the Delhi High Court Act, 1966, the Delhi High Court has ordinary original civil jurisdiction in every suit, the value of which exceeds Rs. 25,000/-. Under Section 17 (3) of the same Act, the High Court has such original jurisdiction in respect of the Union Territory of Himachal Pradesh also. After the establishment of the High court, it was found that the limit of Rs 25,000/- for civil suits was too low and large number of cases were filed in the High Court and the High Court started accumulating arrears. So it was thought necessary that the limit of Rs. 20,000 should be raised to Rs. 50,000 and the High Court should have ordinary original civil jurisdiction of suits, the value of which exceed Rs. 50,000/-. Consequent to this, the arbitration jurisdiction of the High Court will also, under the Arbitration Act, be corresponding raised to suit whose value exceeds Rs. 50,000/-.

Article 112 (3) relating to expenditure charged on the Consolidated Fund of India does not provide for salaries and allowances of Judges of the High Court for a Union Territory and the necessary provision has to be made by Parliament by law and this opportunity is taken to provide for a provision in the Delhi High Court Act to the effect that expenditure in respect of salaries and allowances of Judges of the Delhi High Court shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of India on the lines of the corresponding provision applicable to State High Courts in Article 202 (3) (d) of the Constitution.

The Bill seeks to achieve these objects, and I believe that the House will concur with it.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to amend the Delhi High Court Act, 1966, be taken into consideration."

Mr. Pandey is absent. Amendment No. 15 by Shri Mandal and Amendment No. 17 by Shri O. P. Tyagi may be moved.

SHRI B. P. MANDAL (Madhipura) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 29th November, 1969." (15)

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th October, 1969." (17)

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Sir, the delay which has been caused in the matter of disposal of cases has made it necessary for the Government to upgrade the jurisdiction of the Delhi High Court. Delay of the law is considered a negation of the law. In fact, recently, a High Court Judge is on record to say that the delays which are occurring in our High Courts are likely to lead to a complete collapse of justice. I would like to give some statistics to which I wish to draw the attention of the Hon. Minister.

In 1965, there were 2.163 lakhs of cases pending of which 88,000 were more than 2 years old. In 1968, the number has increased to 3.34 lakhs of which 1.12 lakhs are more than 2 years old. The statistics for Delhi are in the same scale. The pendency when the Delhi High Court was constituted was 6,600. The pendency now is 18,000.

15.50 hrs.

[Shri M. B. Rana *in the Chair*]

These figure imply that our High Courts

[Shri Lobo Prabhu]

are taking their own time, taxing the patience of the litigants and rewarding perhaps only the lawyers engaged. It is computed that the average age of a case in the Delhi High Court is 6 years. In the country itself, there are cases more than 25 years old. Recently, there was a case decided which went back to 1934. It is, therefore, very necessary to consider what can be done to reduce such persistent delay in the dispensation of justice at the highest level because what happens at that level influences what happens below. Justice in the lower courts is even worse. Even a magistrate's court takes a year for a decision on an ordinary case.

Among the causes given for delay in the Delhi High Court are, first, wrong admission. As many as 70-80 per cent of the cases taken up by the High Court are dismissed. Judges who have the right and responsibility to judge whether a case should to before them have to exercise that right. If Government cared, by their direction, they should impress upon the High Court that they should examine cases for admissibility very carefully.

The second reason is the defective character of the laws passed in this very House. I have time and again to reproach this House about the laws which are passed without consideriug the Constitution. The excuse is given that there is the Supreme Court. Why should we burden that Court with what is our own duty ? In this House, there are lawyers, there is ability to judge the simple fact whether a law is within the Constitution, whether it satisfies the needs of the people, whether it conforms to the principles of legislation. I would, therefore, suggest that Ministers do not come here determined to get a Bill passed, determined to get it passed to the word and letter as they have brought it. If we suggest amendments, it is not to please ourselves. We do that with the idea that the law may be improved and free from defects. I would like the Minister to recall if he has ever allowed a single amendment to be accepted to the law. Then what is the point in this procedure for tabling amendments if they are to be dismissed like this ? Why not amend the rules and say no amendments whatever Government say is right ; members can make their speeches and there it will rest ?' If there is today this heavy accumulation of cases, Government must blame themselves in having brought forward bad laws. They must therefore make up their mind that in future they will not look with indifference, even contempt, on amendments and will not dismiss them without even examining them properly.

The third reason is the easy and frequent adjournments to oblige either the lawyers or the parties or suit the convenience of even the presiding judge. There must be a limit to adjournments. If unnecessary adjournments are sought, there should be proper penalties for it. If it is not done and they are given as they are, we cannot expect anything but mounting arrears.

The fourth touches on the quality of the judges. I am not speaking on this with any disrespect to the judges. But I would like Government to consider when they make appointments of judges, whether they should allow politics to interfere, whether it should not be a matter to be decided solely on the merits of the judges.

We have judges appointed because they serve party purposes, because they belong to the same community as the Home Minister or the Chief Minister. You see the result. Those judges make more mistakes...(*Interruptions.*)

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): With due respect to Mr. Lobo Prabhu I want to say this On a point of order. Mr. Chairman. You are the custodian of this House. How can you allow him to make such references ? Whenever somebody else makes a reference, he says : the High Court judges should not be spoken like this ; they should not be attacked in this House. Even he should not be attacked. But he is himself commenting on the appointment of the High Court Judges .. (*Interruptions.*) He says that the High Court Judges are relations of somebody and they belong to a particular caste.

SHRI LOBO PRABHU : I am not referring to any individual judge.

MR. CHAIRMAN : There is no point of order.

SHRI LOBO PRABHU : I am saying that there must be a system whereby the

appointment of judges is strictly related to their merits. There may be more consultation with the bar in this matter. If Government do not straightaway appoint a judge on the recommendation of the Chief Justice ; there may be consultation, if necessary, with the opposition leaders. But do not let it remain a matter of political privilege. If it is not so, I have nothing further to say. Unless we get good judges we could not get good justice.

The procedures of the High Courts and other courts require to be carefully examined. The Law Commission finds for instance that it takes on an average six months for summons to be served and a year to get copies. Something must be done to reduce those delays. It may be the responsibility of the High Court to do so but that is also shared by the Government. Government cannot shut its eyes to those delays.

In the context of these accumulations, the question is whether the proposal to reduce the original jurisdiction of the Delhi High Court is justified We have to remember in this connection how the Delhi High Court was instituted. When Punjab and Haryana separated, Government thought it was a good opportunity to constitute this High Court. There were objections. The parties concerned were happy to belong to Haryana and remain part of the judiciary of that State but Government had its own way. On the basis of the statistics available after the court was constituted, they found that there was no justification for appointing chosen member of judges without adding original jurisdiction. So, they made Delhi quite different from other High Courts ; they saddled this High Court with original jurisdiction like the old Presidency High Courts. That was a mistake. The number of cases instituted before the Delhi High Court had trebeled. Because of this you are proposing to limit the jurisdiction to Rs. 50,000. I may remind you that the Metropolitan Council has proposed that it should be one lakh of rupees. If the argument is that this should reduce the original jurisdiction to little or nothing, well and good ; we do not want the high court to exercise the original jurisdiction, because, original jurisdiction means that cases which should go before a district judge, with a smaller court-fee and with a lower payment to the lawyers, would now go to the high court and will take more time there and certainly will cost more. And to this extent, I have moved an amendment that the jurisdistion be restricted to cases above a lakh of rupees. Otherwise, I would again urge the Government to think of justice not merely as a matter of cases and a matter of judges. They can increase the number of judges of the Delhi High Court, but that will not solve the problem. They will probably find that the number of delayed cases will continue to be the same. The more people there are to do the same wrong work, it would become difficult and more would be the delay.

16.00 hrs.

So, I would press on the Government to look at this whole problem in an organic way and find out the cases of the delay and to remove the delays soon.

श्री वि० प्र० मंडल (माधेपुरा) : सभापति महोदय, मेरा ग्रमेंडमेंट है कि पब्लिक ग्रोपिनियन के लिए इस बिल को भेजा जाय । यह एक साधारण बिल है जिसमें सिर्फ 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार के ऊपर के केसेज को दिल्ली हाई कोर्ट के जूरिस्डिक्शन में लाना है ग्रौर दूसरे दिल्ली ग्रौर हिमाचल प्रदेश के सिविल कोर्ट्स के जूरिस्डिक्शन को 25 हजार मे बढ़ाकर 50 हजार तक करना है । तीसरा है कि जिस तरह से ग्रौर स्टेट्स के हाई कोर्ट के जजेज का एक्सपेंडीचर चार्ज्ड ग्रान दि कंसालिडेटेड फंड ग्राफ इंडिया होता है उसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का भी होना चाहिए । सबसे पहली बात तो मुझे इसमें यह कहनी है कि यदि हम दिल्ली हाई कोर्ट को स्टेट हाई कोर्ट्स के मुकाबले में लाना चाहते हैं तो हमें इस बात को देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज को डिजर्व करता हैं या नहीं । इस सिलसिले में मैं दिल्ली हाई कोर्ट की एक रिसेंट घटना ग्रापके सामने रखना चाहता हूं जो इस हाउस के हमारे स्पीकर ग्रौर हमारे दोस्त श्री एस० एम० बनर्जी वगैरह से संबंधित है ग्रौर जो शंकराचार्य के विषय में उन्होंने यहां इस सदन में ग्रपनी बात रखी थी उसके ऊपर यहां के हाई कोर्ट ने उनको

[श्री बि० प्र० मंडल]

जो नोटिस ईश्यू किया था, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। दुनिया में कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता कि एक हाई कोर्ट को इतना तक मालूम न हो कि पार्लियामेंट के अन्दर या स्टेट लेजिस्लेचर के अन्दर जो बातें मेम्बर कहते हैं उसमें कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी उनको नहीं रहती है, वह सबसे बरी रहते हैं। अगर एक हाई कोर्ट को यह तक मालूम न हो तो उसे हम तो समझते हैं कि हाई कोर्ट नहीं कहना चाहिए, लोअर कोर्ट भी कहलाने का हक उसको नहीं है। एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी जो कि हिन्दुस्तान में काम करता है जिसके लिए किसी क्वालीफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है वह भी इस बात को जानता है कि स्टेट लेजिस्लेचर हो या हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट हो वहां के मेम्बरों को यह अधिकार है कि बिना किसी के भय के, बिना किसी को फेवर किए हुए, बिना कोर्ट के लायबिलिटी के वह अपने विचार को रखसकें। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन के हमारे जो स्पीकर थे और हमारे चार माननीय सदस्य जिनको कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक यह अधिकार है, इस बात को दुनिया का कोई भी एक्स वाई जेड, टाम डिक ऐंड हेरी भी जानता है कि पार्लियामेंट के अन्दर कोई सदस्य किसी बात को रखता है तो उसकी कोई क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी नहीं होती है लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे दोस्तों को नोटिस दे दिया और वह नोटिस देने के बाद हम उस दिल्ली हाई कोर्ट को यह और स्टेट्स की हाई कोर्ट्स के लेवल पर लाने का जो बिल लाए है मालूम होता है कि हम उनको वह एक तोहफा देने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट यह डिजर्व नहीं करता है जो हिन्दुस्तान के दूसरे हाईकोर्ट्स डिजर्व करते हैं। जो और स्टेट हाई कोर्ट्स के जजेज का मुशाहरः कंसालिडेटेड फंड आफ इण्डिया से चार्ज होता है वह स्टेटस दिल्ली हाई कोर्ट डिवर्ज नहीं करता है। यह सालिटरी इन्स्टेन्स जो दिल्ली हाई कोर्ट का हुआ है वह इस बात को ताईद करता है कि वह इसको डिजर्व नहीं करते हैं। इसी बात को ध्यान में रख कर मैंने यह अमेंडमेंट दिया है कि पब्लिक ओपिनियन के लिए इस बिल को भेजा जाय ताकि हिन्दुस्तान की जनता इस बात को देखे समझे कि हिन्दुस्तान की राजधानी में एक हाई कोर्ट कहलाने वाली संस्था है जिसको ला का ए बी सी डी भी नहीं आता है......

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : यह बहुत ज्यादती है जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप देखें यह कहां तक उचित है कहना कि दिल्ली हाई कोर्ट को ला का ए बी सी डी भी नहीं आता और आप इस बात को सुनते जा रहे हैं? ......(व्यवधान)।

श्री बि०प्र० मंडल : यहां पर हम पार्लियामेंट के सदस्य बिल को पास करते हैं, उसके मुताल्लिक पूरा हमको अपनी ओपिनियन देने का राइट होना चाहिए। यह बिल ही ऐसा है कि जिसमें हमें इस बात को रखने की पूरी इजाजत है। मैं समझता हूँ कि :

I am perfectly within my right and am quite justified in saying that the present action of the Delhi High Court clearly shows that this High Court does not deserve to be kept in the category of other High Courts of India. Therefore I oppose this Bill and I want that my amendment to circulate the Bill for eliciting public opinion thereon by 29th November, be accepted.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, जो बिल हाउस के सामने आया है उस की मैं पुरजोर हिमायत करता हूँ। दो-चार बातें मैं इस मौके पर चाहूंगा कि इसकी बहस के दौरान होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाऊं। पहली बात जो मैं चाहूंगा वह यह कि जहां तक मुकदमों का सवाल है वह हाई कोर्ट के सामने बढ़ते चले जा रहे हैं। कई-कई हजार

मुकदमे पेंडिंग हैं । यह हालत अकेले दिल्ली में नहीं है बल्कि पंजाब हाईकोर्ट में और मुख्तलिफ हाईकोर्ट्स में भी है । एक एक मुकदमे की पेशी सात-सात और दस-दस साल में पड़ती है और इतने दिनों में नम्बर आता है । जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड यह एक पुरानी मैक्सिम है और खास तौर से जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं जब इतने लम्बे अरसे तक एक मुकदमा बिना सुनवाई से पड़ा रहता है तो उनमें से 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने मुकदमे को वापस ले लेते हैं । तो पहली चीज तो मैं यह चाहूँगा कि यह सोचा जाये कि इतने एनार्मस नम्बर आफ पेंडिंग केसेज का कोई इलाज किया जाये ।

दूसरी बात — जजेज़ बड़े काबिल हैं, ठीक बात है । लेकिन और भी काबिल जजेज मिल सकते हैं । खास तौर पर मैं होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि कुछ इस किस्म की टेंडेंसी होती है कि जो सर्विसेज के लोग हैं उन में से कुछ ज्यादा नम्बर आफ जजेज़ लिए जाते हैं, पहले आई० सी० एस० थे, अब दूसरे लोग हैं जिनका जूडिशियल एक्सपीरिएंस है वह लिए जाते हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई कमी नहीं है टैलेंट्स की बार में । आम तौर से अभी तक यह होता रहा है कि जो हाई कोर्ट के बार के लोग हैं वही ज्यादा जजेज़ बनते हैं जो परसेंटेज उनका होता भी है उसमें । अव्वल तो वह परसेंटेज भी थोड़ा है सर्विस मैन के मुकाबले में, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि डिस्ट्रक्ट हेडक्वार्टस में भी बड़े-बड़े काबिल आदमी हैं । जैसा पहले भी मैंने बताया है, पंजाब हाई कोर्ट की बात मैं जानता हूँ, जस्टिस जय लाल जैसे आदमी थे जो पहले डिस्ट्रिक्ट लेबेल पर प्रैक्टिस करते थे और वह हिन्दुस्तान के बेहतरीन जजेज़ में से थे । तो मैं अर्ज करूंगा कि अच्छे टेलेंट्स अगर हाई कोर्ट में आपको नहीं मिलते तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी कम टेलेंट्स के आदमी नहीं हैं । वहां से आप आदमी लीजिये । यह बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि मेरे अपने हाई कोर्ट में, पंजाब और हरयाना हाई कोर्ट में इस तरह की बात महसूस की जाने लगी है कि हाई कोर्ट में इस लेबल के वकील नहीं हैं जो हाई कोर्ट के जज बन सकें । तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर वहां नहीं है या वहां के वकीलों के बारे में चीफ जस्टिस आफ इंडिया या पंजाब के चीफ जस्टिस की ओपीनियन नहीं मिलती और हो सकता है कि इससे आप भी कुछ डिफिकल्टी में हों तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टस में बड़े काम्पीटेंट लोग मौजूद हैं जिनकी पांच-पांच और दस-दस हजार रुपये महीने की प्रैक्टिस है । तो यह जो एक आम चीज बन गई है कि हाई कोर्ट के अन्दर के ही लाइयर हाई कोर्ट जज के लिए लिए जायें इसको आप तब्दील करें और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टस से भी आप उनको लें तो अच्छा असर पड़ेगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के जजेज़ की जो तनख्वाह है, वह मैं महसूस करता हूँ कि थोड़ी है । लाइयर्स प्रोफेशन में जो अच्छे लेबल का आदमी है जो पन्द्रह-पन्द्रह हजार, बीस-बीस और तीस-तीस हजार रुपया कमाता है वह किसी कीमत पर भी हाई कोर्ट का जज बनना नहीं चाहेगा । हाईकोर्ट के जजेज को जो तनख्वाह मिलती है उसमें से इनकम टैक्स वगैरह निकाल करके, दो हजार रह जाते हैं । अब जो अच्छी प्रैक्टिस वाले और एक्सपीरियन्स्ड आदमी हैं वे अपना प्रोफेशन छोड़कर हाईकोर्ट में जाना चाहें, तो नहीं जायेंगे । तो इस बात का भी आप ख्याल करें । अच्छे टैलेन्ट्स लेने की तरफ भी आप सोचें ।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि हाईकोर्ट के जजेज को — अगर कोई दिल्ली का हो तो दिल्ली में ही लगाया जाये । मैं इसमें जजेज की इन्टेग्रिटी या इम्पार्शेलिटी पर कोई अटैक नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह चाहूँगा कि एक जगह से दूसरी जगह जजेज को भेजा जाये ताकि कम्प्लीट इन्टिग्रेशन हो । यहां के साउथ में जायें और

[श्री रणधीर सिंह]

साउथ के यहां आयें, इसमें कोई डिफीकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इससे इम्पार्शेलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। पंजाब का दिल्ली में, दिल्ली का यू० पी० में, यू० पी० का साउथ में और साउथ का नार्थ में, इस तरह से आप भेजिये। आल इंडिया बेसिस पर कोई लिस्ट बना लीजिये और उसके हिसाब से कीजिये। चूंकि होम मिनिस्टर साहब यहा पर मौजूद थे इसलिए मैं उनकी नोटिस में इन बातों को ले आया। उन्होंने यहां पर जो अमेंडमेंट्स पेश किये है, मैं उनकी पूरी हिमायत करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने दिल्ली हाई कोर्ट बिल है। इसको लाने के क्या कारण हैं और इसका लक्ष्य क्या है, इसको देखते हुए, हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। सन् 1965 तक पंजाब और दिल्ली की एक हाई कोर्ट थी लेकिन 1965 में यह अनुभव हुआ कि दिल्ली का इतना विस्तार हो गया हैं, मुकदमात का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि दिल्ली में हाई कोर्ट बना कर कुछ केसेज को यही तय करना होगा। 25 हजार से ऊपर के केसेज के लिए हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उस दृष्टिकोण से यहां का कार्य चलता रहा लेकिन स्थिति यह है 25 हजार के ऊपर के केसेज जो हाई कोर्ट में पिछले वर्षों दिये गये उनमें से केवल पांच प्रतिशत ही हल हो पाये हैं। जनता के बाकी केसेज स्टोर हाउस में डाल दिये गए हैं, जनता को न्याय नहीं दिया गया है। जनता तो न्याय के आधार पर देखती है कि क्या हो रहा है। रजिस्ट्रार के आफिस में बैठकर उन केसेज पर तारीखें पड़ती चली आ रही हैं। एक बात और खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि जजेज की नियुक्ति भी हाई कोर्ट में उसी आधार पर हुई है कि कितने केसेज हैं लेकिन वह केसेज फिर भी पड़ रहे। अब यह बात चली है कि केसेज किस स्तर से ऊपर के उच्च न्यायालय में आवें। सुझाव है कि 25 हजार से ऊपर के केसेज उच्च न्यायालय में आयें। लेकिन इसके पीछे भी एक इतिहास है। जब अंग्रेज शासक थे तो वे, जिन कोर्ट्स में भारतीय जज होते थे, उनके सामने कठघरे में जाकर खड़े होने में अपना अपमान समझते थे। इसीलिए उन्होंने सीमा बनाई थी कि इससे ऊपर के केसेज हाईकोर्ट में होंगे क्योंकि हाई कोर्ट में अंग्रेज जज हुआ करते थे। मद्रास कलकत्ता, बम्बई इस आदि प्रकार के जो नगर थे जहां पर उन लोगों ने अपने स्तर को देखकर इस तरह की सीमा निर्धारित की थी कि इस सीमा के ऊपर के केसेज उच्च न्यायालय में जायेंगे। लेकिन आजादी के पश्चात् अंग्रेज चले गए, उनकी अंग्रेजियत फिर भी बाकी रह गई। इस देश में परिवर्तन होना चाहिए था, हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण केसेज जाने चाहिए थे, साधारण कोटि के केसेज लोवर कोर्ट्स में आसानी से हल हो सकते थे। अंग्रेजों का प्रश्न अब नही है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 25 हजार से ऊपर के केसेज को रखा। हाई कोर्ट मे जिस लक्ष्य से केसेज भेजे गए, अगर उस लक्ष्य की भी पूर्ति होती तब भी अच्छा था। लेकिन जितना अनुभव हुआ है इतने दिनों में वह यह कि 5 प्रतिशत केसेज हुए हैं, बाकी नहीं। दिल्ली महानगर परिषद् और कार्यकारी परिषद् ने सर्व-सम्मत प्रस्ताव इस सरकार के सामने भेजा कि 25 हजार की जगह पर 50 हजार की सीमा करने का जो सरकार का सुझाव है उसकी जगह एक लाख की सीमा रखी जाये, तभी दिल्ली का काम चल सकेगा वरना फिर वही होगा, हाई-कोर्ट में केसेज पड़े रहेंगे और लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जैसा कि सभी जानते हैं, देरी से न्याय देने का मतलब होता है, न्याय दिया नहीं गया। यूं तो सारे भारतवर्ष की स्थिति इसी प्रकार की है। अभी कल परसों ही एक समाचार था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 60 हजार केसेज पड़े है जिनका निर्णय नहीं हो सका है। यही स्थिति अन्य हाई कोर्ट्स भी है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब आप कानून बना रहे हैं तो फिर 50 हजार की

सीमा न रखकर एक लाख की सीमा रखें। सबसे बड़ी बात यह है जैसा एक सदस्य बोले हमारे उपर चोट लग गई, तो पूरे हाई कोर्ट के जजेज को पागल बना देना, मैं समझता हूं इस सदन के किसी भी सदस्य के लिए शोभनीय बात नहीं होगी। वे जजेज हैं, इन न्यायालयों का हमको आदर करना चाहिए। न्याय हमारे अनुकूल होता है या नहीं, उसको देखकर जजेज के बारे में इस प्रकार की सम्पत्ति प्रकट करें, यह बात शोभा नहीं देती है। वहां इस प्रकार के लायक जजेज हैं जोकि कानून के पंडित हैं, संसार भर के जजों में उनका स्थान है। हमारे हिदायतुल्ला साहब और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेज हैं जिनको कि इन्टरनेशनल ला का बहुत ज्ञान है। फिर भी उनकी कुछ सीमायें हैं। हाई कोर्ट के जजेज का एक ढंग होता है। वहां पर तीन चार महीने की छुट्टियां हुआ करती हैं। उनके कार्य करने का एक अलग ढंग है। उच्च न्यायालयों के स्तर के अनुकूल ही आप उनको केस दे दीजिये। ताकि जल्दी से जल्दी जनता को न्याय मिले। लेकिन एक लाख तक के केसेज का जो सुझाव दिया गया था उसको गृह मन्त्री ने नहीं माना।

मैं एक बात विशेष रूप से पूछना चाहता हूं। गृह मन्त्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि दिल्ली के महत्व को देखते हुए दिल्ली महानगर परिषद और कार्यकारी परिषद जो हैं, उनको भी दूसरी स्टेट के समान पूरा आदर देंगे और उनकी सिफारिशों का पूरा आदर करेंगे लेकिन आपका यह केवल मौखिक आश्वासन रहा, आपका सारा कार्य सर्वथा विपरीत रहा। मैं खास तौर पर गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको ज्ञान हो या न हो कि महानगर परिषद को फेल करने के लिए गृह मन्त्रालय में षड़यन्त्र रचे जाते हैं। यह सब यहां से होता है—बार बार आपका ध्यान आकर्षित किया गया कि यह मत कीजिए। मैंने सवाल पूछा था कि उच्च न्यायालयों के जजेज की जो नियुक्ति होती है उसका क्रम क्या है—हांलाकि संविधान में नहीं है—तो आपने जवाब दिया कि उस प्रदेश के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर से सलाह करके जजों की नियुक्तियां करते हैं। आपने आश्वासन दिया था कि दिल्ली संघ राज्य के सम्बन्ध में भी वैसा ही व्यवहार किया जायेगा। लेकिन दिल्ली संघ-राज्य में जब जजेज की नियुक्ति का सवाल आता है तो गृह मन्त्री वहां से कोई सलाह नहीं लेते। वहां के गवर्नर से सलाह नहीं लेते, कार्यकारी परिषद् से सलाह नही लेते। और जो सलाह दी भी जाती हैं उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। यह असंतोष है महानगर परिषद और कार्यकारी परिषद में। यह उनकी भ्रान्ति है या एक सच्चाई है, इसको गृह मन्त्री सोच सकते हैं। वे तो यही समझते हैं हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, हमारी सिफारिशों का आदर नही किया जाता है।

उदाहरणार्थ मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में ब्रेड पर तो कर नहीं है क्योंकि उसको अंग्रेज खाते रहे हैं लेकिन दिल्ली नगर के पराठों पर कर लगा हुआ है। रोटी भी आटे की बनी हुई है जबकि पराठे में थोड़ा आलू बीच में और डाल दिया गया है। जो बाहर के लोग आते हैं वह पराठे गली में जाकर पराठे खाते हैं, उस पर कर लगा दिया गया है। महानगर परिषद और कार्यकारी परिषद ने भारत की सरकार और होम मिनिस्टर को सलाह दी कि ब्रेड और पराठे में कोई अन्तर नहीं है। आलू को अगर टिकिया के रूप में खिला दिया जाये तो कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन चूंकि पराठा नाम हो इसलिए उस पर कर लग गया। अंग्रेज की ब्रेड पर कर नहीं है। मैं समझता हूं इस प्रकार इस के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है।

अगर कर ही लगाना है तो जब पराठे पर लगा है तो ब्रेड पर भी लगना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ ? लेकिन सिफारिश की गयी जिससे लोगों को राहत मिले। परन्तु कहीं महानगर परिषद् और कार्यकारी पार्षद् को कोई श्रेय न मिल जाय इसलिए सरकार ने उसे नहीं माना।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक लाख की जो सिफारिश की है इससे जनता

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जनता को न्याय जल्दी मिलेगा और सस्ता मिलेगा। उच्च न्यायालय में जाने के लिये लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। एक लाख तक के अगर आप केसेज छोटे न्यायालय में दे देंगे, तो जनता को न्याय सस्ता और जल्दी मिलेगा क्योंकि छोटे न्यायालयों से हर महीने जजों को रिपोर्ट देनी होती है कि हमने इतने केसेज किये। अगर नहीं करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आता हैं। इसलिये सभी जजेज लोवर कोर्ट्स में मेहनत से काम करते हैं। उच्च न्यायालय की कोई रिपोर्ट लेने वाला नहीं है। उनके साथ भी अगर सुप्रीम को जोड़ दो कि तुम्हारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेगा तो वह हिल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने की आपकी इच्छा नहीं है। आप उनको उतना ही काम दो जितना वह शान के साथ और इज्जत के साथ और आराम के साथ कर सकें। एक लाख के ऊपर के थोड़े केसेज होंगे, जल्दी फैसला कर सकेंगे।

तो आप अपने आश्वासन का ध्यान करते हुए महानगर परिषद् और कार्यकारी पार्षद् परिषद ने जो सिफारिश की है आपके पास, मैं समझता हूँ कि इसको मानने में कोई हानि का प्रश्न नहीं है। इससे जनता को राहत मिल जायेगी। आशा है आप इस पर विचार करेंगे।

श्री महाराज सिंह भारतीय (मेरठ) : मान्यवर, इस बिल के कारण और उद्देश्य जो बताये गये हैं उस में बताया गया है कि मैट्रोपोलिटन शहर की वजह से और बहुत से केसेज पेंडिंग थे इस वजह से 25,000 से 50,000 की लिमिट की जा रही है। शायद किसी ने हिसाब लगाया होगा कि अगर 50,000 कर दिया जाये तो इतने केसेज ट्रांसफर हो जायेंगे, कुछ बोझ हल्का हो जायेगा। इसी में कुछ सरकार फंसी हो ऐसी बात नहीं है। सरकार तो हर मामले में अपने अंदाजे को गलत हमेशा पाती रही हैं। इन्हें ग्रीन रिवोल्यूशन का पता नहीं था। यह ट्रैक्टरों में फंस गये। इस से पहले फर्टिलाइजर में फंसे रहे थे, बेरोजगारी में शुरू से फंसे हुए हैं। इंसाफ में भी फंस गये। छोटी अदालत से ले कर बड़ी अदालत तक सब जगह बहुत ही केसेज पड़े हुए हैं। क्यों ये केसेज पड़े हुए हैं उस का एक सही हिसाब लगना चाहिए। इस मुल्क में जिस रफ्तार से शिक्षा बढ़ी है और जनतन्त्र में आदमी की मांग बढ़ी उस रफ्तार से आप की अर्थ व्यवस्था नहीं बढ़ी मुल्क में आजादी आने के बाद, जनतन्त्र आने के बाद जो लोगों के अन्दर एक भावना पैदा होती है इंसाफ लेने की, उस भावना में केस बढ़े। आप ने उस का हिसाब नहीं लगाया। इंसाफ देने का तरीका हम ने अंग्रेजों के जमाने का बहुत कीमती रखा। अब या तो जहाँ अधिनायकवाद होता है वहां की तानाशाही में समरी ट्रायल हो कर बिना इंसाफ मिले लोगों के मुकदमे खत्म हों, या जनतांत्रिक तरीके से आप इतना कीमती और देर तक चलने वाला सिस्टम अपनाये हुए हैं जिस में मुकदमे पड़े रहेंगे, दस-दस साल पड़े रहेंगे।

देश में गांवों से ले कर शहर तक ऐसे पेशेवर इंसान पैदा हो गये हैं जो मकान के मालिक हैं और यह जान कर कि अभी इंसाफ मिलने वाला नहीं है मैं चार साल किरायेदार को रगड़ा दे सकता हूँ। इस तरह से वह पेशेवर इन्सान मुकदमा दायर कर देता है किरायेदार पर। उस का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन किरायेदार चार साल में परेशान हो कर भाग जायेगा।

गांवों में भी ऐसे पेशेवर लोग मौजूद हैं जो अपने दुश्मनों को फंसा देंगे। सरकार की इस नीति का फायदा एँटी सोशल ऐलीमेंट उठा रहा है। यह मान कर चलता है कि इन्साफ कई साल में मिलना है इतने में तुम इन को ठीक कर लोगे। हम एक ऐसे सैट अप में फंस गये।

मैं अपनी न्यायपालिका को कुछ कहना नहीं चाहता, उस में कोई गलती दिखाई नहीं देती, और अगर हिसाब लगाया जायेगा तो

हमारी कार्यपालिका और राजनीति से न्याय-पालिका का स्तर ऊंचा ही है।

मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक छोटा सा मुकदमा दो बिसवा ज़मीन वाला किसी अदालत में जाता है और उस को इंसाफ नहीं मिलता, 10 साल तक अटका रहता है। लेकिन एक 50 एकड़ जमीन का केस जो चकबन्दी कानून के मातहत जाता है उस को डिप्टी डायरेक्टर दो मिनट में तय कर देता है। वह जज रैंक का आदमी नहीं होता। चकबन्दी कानून के मातहत उस को जज बनाया गया है। अगर वह भी इन अदालतों की तरह से उस केस को तय न कर पाये और लम्बे लटकाता रहता तो पूरे मुल्क की खेती बंजर हो कर रह जाती, और चकबन्दी का कानून बिल्कुल फेल हो गया होता। वह एक दिन के अन्दर काफी मालियत के मुकदमे तय कर सकते हैं। जब कि स्वतंत्र न्यायालय आठ आने का फैसला करने में सालों लगाते हैं। तो कहीं हमारे सिस्टम के अन्दर कोई बुनियादी खराबी है।

आप ने कहा कि 50,000 कर दो। 50,000 करने से केसेज खत्म हो जायेंगे क्या? सिर्फ यही होगा कि हाई कोर्ट से लोवर कोर्ट में चले जायेंगे। केसेज तो अपनी जगह है। उन का और काम बढ़ जायगा। असली बात यह है कि जनतन्त्र में इंसाफ का गला आप नहीं घोंट सकते। जनतन्त्र में इंसाफ की प्रणाली को ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोगों को इन्साफ मिले, कम खर्च हो और जल्दी भी मिल जाय। अगर कोई हम से कहे कि मरीज का इलाज एलोपैथी से दवाइयों और यंत्रों के द्वारा दिल्ली के अस्पतालों में य सारा इलाज कोई भी भारत सरकार पूरे देश के लोगों को दे सकती है तो मैं कहूँगा कि असम्भव है। कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर यह कहा जाय कि सरकार की तरफ से पूरे देश के लोगों को दिया जा सकता है होम्योपैथी का इलाज, तो मैं मान सकता हूँ कि जरूर दिया जा सकता है, वह इलाज सस्ता भी होगा और सब को दिया भी जा सकता है। इलाज कराने में तो आदमी प्राइवेट डाक्टर के पास चला जाता है। लेकिन इंसाफ कराने के लिए किस जज के पास चला जायगा? तो इस बारे में नये सिरे से सोचना चाहिए। आप इस बिल को ले कर, आयें, कल फिर पढ़ेंगे कि 10,000 रु० का मकान 50,000 रु० का हो गया और 10 साल बाद डेढ़ लाख का हो जायगा। माननीय त्यागी जी ने लाख, डेढ़ लाख की बात कही। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद यह लिमिट भी क्रौस हो जायगी तो क्या करेंगे। इसलिए समस्या का यह इलाज नहीं है। इलाज वह है कि पूरी जुडिशियरी के सिस्टम के ऊपर ठंडे दिल से सोचें कि कैसे इंसाफ सस्ता मिले, जल्दी मिले, तत्काल मिले ताकि पेशेवर लोग जो हैं वे रूट आउट किये जायें और छोटे छोटे केस डेढ़ महीने में निपट जायें। कैसे ऐसा हो, मगर सरकार इस पर गौर कर के बिल लाये तो पूरा हाउस उस का स्वागत करेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़): सभापति महोदय, आज इस सदन के अन्दर ऐसा विधेयक लाया गया है जिस की मैं समझता हूँ बड़ी आवश्यकता थी। क्योंकि जिस समय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्माण हुआ उस समय अकेले दिल्ली प्रदेश ही इस हाई कोर्ट के जूरिज्डिक्शन के अधीन था। परन्तु बाद में हम ने हिमाचल प्रदेश को भी उस के साथ जोड़ दिया। इस से निश्चित रूप से दिल्ली हाई कोर्ट के कार्य में वृद्धि हुई। इस कारण इस बात को सोचने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वह सारे काम को, जिस गति से मुकदमे आ रहे हैं, पूरा नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्माण 1966 में हुआ था। तीन वर्ष अभी पूरे नहीं हुए। आज दिल्ली हाई कोर्ट के बकाया केसेज की तादाद 15591 तक पहुँच गई है। हम ने दिल्ली हाई कोर्ट को एक्सेप्शनल रूप में ओरिजिनल जूरिज्डिक्शन दिया था। वर्ना आप को इस बात का ज्ञान है कि किसी

[श्री श्रीचन्द गोयल]

भी हाई कोर्ट कर पास किसी विशेष विषय को छोड़ कर ओरिजिनल जूरिज्डिक्शन नहीं होता। चूंकि दिल्ली में काम कम था इस कारण उन को 25,000 रु० तक की मालियत के ओरिजिनल केसेज भी दिये गये थे। आज मैं समझता हूँ कि 50,000 रु० से भी काम नहीं चलेगा। श्री भारती और श्री त्यागी ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह से चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं उस के अनुसार जिस प्रापर्टी की कीमत आज से दस साल पहले 50,000 रु० थी, आज उस की कीमत 1 लाख रु० हो गई है। दिल्ली खास तौर से ऐसा नगर है जो व्यापार का केन्द्र है। यहां पर अनेकों बड़े बड़े व्यवसाय और बड़ी-बड़ी कम्पनियों के कार्यालय हैं। इस लिये यहां बड़ी-बड़ी मालियत के केसेज आयेंगे। चन्द नगरों, जैसे बम्बई और कलकत्ता, को छोड़ कर किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं है।

आज श्री चव्हाण को इस बात की चिंता है कि हाई कोर्टों के अंदर जो बकाया केसेज हैं उन की संख्या 3 लाख, 34 हजार, 620 तक पहुंच चुकी है, और यह संख्या बराबर बढ़ ही रही है। हर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 25 हजार केसेज के एरियर्स बढ़ जाते हैं। इस कारण मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा विषय है जिस की तरफ भारत सरकार को तुरन्त ध्यान देना पड़ेगा। मैं ने सुना है कि शायद गृह मन्त्रालय इस बात पर विचार कर रहा है। मैं ने अखबारों में पढ़ा है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीशों से इस विषय पर परामर्श कर के कोई इस प्रकार की समिति का निर्माण करने जा रही है जो इस बात का निर्णय करेगी कि जो पिछले बकाया केसेज हैं उन्हें किस प्रकार से जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाये। मुझे अनेकों इस प्रकार के क्लायेंट्स मिलते है जिन के केसेज सात आठ साल पहले अपील में आये। वह कहते हैं कि हमारे केसेज का क्या हुआ। मैं कहता हूँ कि उन की तारीख ही नहीं निकली। पुराने केसेज हाई कोर्ट में वर्षों तक पड़े रहते हैं। कई केसेज में तो अपील करने वाले स्वर्ग सिधार जाते हैं। न ही उन का कोई रिश्तेदार रहता है जिस को मुकदमे का फैसला पक्ष में हो जाने पर राहत मिल सके। मुकदमे इन्फ्रक्चुअस हो जाते हैं। आज तक ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, रिलीफ दिया है, उस को किसी तरह से स्वर्ग में पहुंचा सकें। इसी लिए कहा गया है कि **जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड**।

ऐसा भी होता है कि अगर आठ दस साल तक केस लटकता रह गया तो जिस वकील का केस था वह हाई कोर्ट में जज बन जाता है और मुवक्किल को नया वकील करना पड़ता है। हम ने देखा है कि एक एक मुवक्किल को केस की पेन्डेंसी के अन्दर कई बार नये-नये वकील करने पड़ते हैं। बीस तरह की बातें होती हैं। उन को नई नई फीसें देनी होती हैं। आम तौर पर जो सिविल सूट के वकील होते हैं वह बेंच पर पहुंच जाते हैं और क्लायेंट को दूसरा वकील करना पड़ता है और नये सिरे से सारा इन्तजाम करना पड़ता है।

इस में एक और समस्या भी पैदा हो गई है। हाई कोर्ट के जजेज़ से केसेज की अपीलों के फैसले के अलावा और भी अनेक प्रकार के काम लिये जाते हैं। कइयों को कमिशन आफ इन्क्वायरी का काम करना पड़ता है। गृह मंत्रालय को उस समय जजेज की आवश्यकता पड़ती है। अनेकों इस प्रकार के जज हैं जो कई कई महीनों तक कमिशन आफ इन्क्वायरी का काम करते हैं। इस लिये आज यह बड़ी गम्भीर समस्या है। इस को हल करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हमारा गृह मन्त्रालय तुरन्त इस बात की व्यवस्था करे। चाहे वह जजेज की संख्या बढ़ाये चाहे ऐड हाक जजेज ज्यादा संख्या में मुकर्रर करे या ऐडीशनल जजेज मुकर्रर करे। मैं समझता हूँ कि हम को इस समस्या का निश्चित रूप से मुकाबला करना पड़ेगा। अगर जनतन्त्र में किसी व्यक्ति को देरी के कारण न्याय नहीं मिलता या न्याय

बहुत मंहगा पड़ता है तो यह ठीक नहीं है। आज निश्चित रूप से हमें इस के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना होगा। जैसा मैं ने सुझाव दिया है आज नये जजेज की संख्या बढ़ाई जाय ताकि जो पुराना बैकलाग है उस को वह शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें। भले ही कुछ अर्से के लिए हो बकाया काम को समाप्त करने के लिए हम जजेज मुकर्रर करें।

आप को पता है कि आर्टिकल 226 के मातहत आज हाई कोर्ट्स का तिहाई से ज्यादा काम रिट्स का है। पहले ऐसा था कि साधारण तौर पर एक जज 600 मेन टैक्स केसेज निर्णय कर सकेगा। लेकिन आज रिट्स का काम इतना बढ़ गया है, चाहे वह सर्विस रिट्स हों या कंसोलिडेशन रिट्स हों। इस पर इस विचार से भी विचार करने की आवश्यकता है।

मैं एक चीज की तरफ अपने गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं आज पढ़ रहा था कि जो हमारे पहले ला मिनिस्टर थे श्री पाठक, उन्होंने यह कहा था कि जहां तक टैक्सेज का सम्बन्ध है, उस के सिलसिले में दिल्ली के अन्दर एक हाई कोर्ट बनेगा। एक ऐसी अदालत बनेगी जो टैक्सों के केसेज का फैसला करेगी। जब श्री पाठक 1966 में यहां पर ला मिनिस्टर थे तब उन्होंने यह वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि एक साल के अन्दर टैक्सों का कोर्ट यहां स्थापित होगा। लेकिन अब वह कहीं भी दिखलाई नहीं देता। इस लिये आज जो अनेक प्रकार की अड़चनें और रुकावटें सामने आ रही हैं, उन को मंत्री महोदय हल करें। वह हाई कोर्ट के अन्दर ऐडीशनल जजेज या ऐड हाक जजेज की तादाद बढ़ायें। कमशिन आफ इन्क्वायरी के लिये जो जजेज आते हैं, उन की जगह पर दूसरे जजेज मुकर्रर करें। इस तरह से जो खास तौर पर जल्दी इन्साफ मिलने वाली बात है उस पर तुरन्त ध्यान दें क्योंकि इस से आज लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, इस विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में केसेज ज्यादा आ गये हैं। चूंकि 25,000 रु० तक के केसेज हैं इसलिये संख्या इतनी बढ़ गई है और उनका निपटारा नहीं हो पाता है। इस कारण उनकी रकम बढ़ाई जानी चाहिये ताकि जल्दी उनका फैसला हो और काम आगे बढ़े। इस विधेयक में मुख्य बात यही है। मैंने इसके ऊपर संशोधन भी दिया है। उसमें मैंने कहा है कि यह जो बात कही जा रही है चूंकि इतनी कम रकम तक के केसेज होते हैं इस लिए काम आगे नहीं बढ़ रहा है और फैसला नहीं हो रहा है, यह फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं है। बुनियादी बात यह है कि चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे किसी सब-डिवीजन की कोर्ट हो, कोर्ट्स का संचालन जो होता है उसमें बेहद सुस्ती है। काम का निपटारा नहीं होता है। यह बात नहीं है कि चूंकि रकम कम है इसलिये रकम बढ़ा देने से काम जल्दी समाप्त हो जायेगा? वास्तव में समन्स की नोटिस इश्यू होने से लेकर जब मैजिस्ट्रेट के पास आता है, शुरू से लेकर आखिर तक बेतहाशा सुस्ती है। नोटिस समय पर नहीं आते हैं और जब आते भी हैं तो मजिस्ट्रेट पता नहीं किस काम में फंसे रहते हैं और केस को लेने ही नहीं और तारीख पर तारीख डालते चले जाते हैं। लोगों को इससे बहुत परेशानी होती है। कई सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं। मैं एक निजी उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। 1966 में मुझ पर स्टेट की तरफ से मुकदमा चलाया गया। वह केस आज भी चल रहा है, वह खत्म नहीं हुआ है। मैंने कई बार पब्लिक प्रासीक्यूटर को कहा कि या तो मुझे सजा दिला दो वर्ना इस केस को खत्म करो। न तो मुझे सजा मिलती है, न तो मुझे सजा दिलाई जाती है और न ही केस को खत्म किया जाता है। यह बात नहीं है, कि दो प्राइवेट पार्टियों के बीच के जो केस होते हैं उनमें ही देरी होती है। स्टेट केसिस जितने होते हैं उनमें भी इंतहा दर्जे की देरी होती है। इस देरी का कारण यह होता है कि अफसर जो हैं वे इंतहा दर्जे के सुस्त लोग होते हैं और

[श्री शिव चन्द्र झा]

काम मुस्तेदी से आगे नहीं बढ़ाते हैं। साथ ही कदम-कदम पर भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। अगर आप देखेंगे तो ये चीजें आप वहां पायेंगे, इनकी भरमार वहां पायेंगे। उसके बाद स्वतः वे सुस्त होते हैं। इन सब बातों की वजह से फैसले होने में देरी होती है और केस लटकते चले जाते हैं। रकम की सीमा बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा।

अभी त्यागी जी ने कहा कि पांच प्रतिशत केसिस का ही साल में निपटारा हो पाता है। 95 प्रतिशत केसिस पैंडिंग में चले जाते हैं। जो सीमा है इसको पच्चीस हजार से बढ़ा कर पचास हजार कर देने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। पिछले तीन सालों में प्रति साल पांच हजार के हिसाब से केसिस दिल्ली हाई कोर्ट में आते रहे हैं। क्या कारण है कि इतने ज्यादा केसिस पैंडिंग में जा रहे हैं और निर्णय में देरी होती है। आपको जो बुनियादी कारण है उसमें जाना होगा। कचहरियों के संचालन में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंतहा दर्जे की सुस्ती है। उसमें सुधार लाने की बेहद जरूरत है। इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ सकता है।

मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सरकार को जो काम खुद करने चाहियें उन में भी इंतहा दर्जे की वह देरी करती है। मधुबनी में सब जज बनाने की बात तय हो गई है और 1960 में वह हो गई थी। उसके लिए मकान नहीं था, वहां के वकीलों ने तथा दूसरों ने मकान की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन जज का इंस्टालेशन नहीं हुआ। जब इस तरह की जो चीजें हैं इनका सुधार आप नहीं कर सकते है तो किस तरह से आप आशा कर सकते है कि लोगों को न्याय मिलेगा। दूसरों की बात को आप छोड़ दें। सरकार खुद भी जो काम करती है उसको रोकने में वह बेहद देरी करती है। केस ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि रकम कम है और अगर इसको बढ़ा दिया जाय तो उसका भी कुछ असर पड़ेगा, इसको मैं मानता हूं। लेकिन वह जो असर पड़ेगा वह बहुत ही कम पड़ेगा। बुनियादी बात यह है कि जो इंतहा दर्जे की सुस्ती है, घूसखोरी जो चलती है, जो भ्रष्टाचार है, जो टालमटोल है, जो अफसरशाही है और जो अंग्रेजों के जमाने से आज तक चलती आ रही है, उसको खत्म किया जाए। ये सब बातें अभी भी चलती हैं। मुझे हैरानी होती है कि इन बातों की तरफ क्यों नहीं आज तक ध्यान दिया गया है।

आप कहते हैं कि रकम बढ़ा देने से मुकदमे कम हो जायेंगे। मुझे पता नहीं आप स्वयं कभी कचहरी गए हैं या नहीं गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं जा कर सरप्राइज विजिट करें, आंख खोल कर देखें कि क्यों देरी हो रही है। यदि आपने कारणों को खोजने की कोशिश की तो आप इस नतीजे पर पहुंचे बिना नहीं रहेंगे कि जो बात मैं कह रहा हूँ वह बेमतलब की बात नहीं है। तीन साल से मुझ पर केस चल रहा है, लेकिन उसका निपटारा नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे दरभंगा जेल भेज दो, मधुबनी जेल में भेज दो, तिहाड़ जेल में भेज दो, कहीं भी किसी भी जेल में भेज दो और अगर नहीं भेजते हो तो केस खत्म करो। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है और केस चलता जा रहा है।

अगर आपने इस सीमा को बढ़ा कर पचास हजार कर दिया और आप यह समझ बैठे कि इससे जनता को इंसाफ मिल जायेगा तो यह आपकी भूल है। आम जनता को इससे इंसाफ मिलने वाला नहीं है। जस्टिस होम्ज और जस्टिस ब्रैंडीस के नाम दुनिया के इतिहास में गिने जाते हैं इस क्षेत्र में। उन लोगों का कहना है कि जजिज़ के विचार जो हैं वे कंडिशंड होते हैं। बेशक उनको इंसाफ देना होता है लेकिन उसके बावजूद भी उनका दृष्टिकोण कंडीशड होता है। जैसा आपका समाज होगा इंसाफ का दृष्टिकोण भी वैसा ही होगा। वर्ग समाज में चाहे वह छोटा

सा कर्मचारी हो या जज हो, उसका दृष्टिकोण जो होगा वह कंडीशंड होगा । सरकार समाजवाद लाने का दावा करती है और कहती है कि वह समाजवाद की ओर नए कदम बढ़ा रही है, नई दिशा दिखाने जा रही है । उसके लिए मैं समझता हूँ जो वर्ग समाज है, इसका हिन्दुस्तान से खात्मा किया जाए । वर्ग समाज में चाहे जज हो उसका दृष्टिकोण भी कंडिशंड होता है और आम जनता को उसकी वजह से इंसाफ नहीं मिल पाता है । इन सब कदमों को अगर सरकार उठाएगी तब जा कर चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या सब डीविजन की कोर्ट हो, सभी कोर्ट्स में काम आगे बढ़ेगा, काम जल्दी निपटारा होगा और तेजी के साथ जनता को इंसाफ मिल पाएगा । आप इस सीमा को पचास हजार करने जा रहे हैं । मैं चाहता हूँ कि इसको आप तीस हजार कर दें । पचास हजार की जो सीमा है वह बहुत अधिक है । मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिये कि जनता को इंसाफ मिले और जल्दी मिले । बुनयादी परिवर्तन भी आप समाज में लायें, कचहरियों के संचालन में लायें तभी जा कर जो मकसद है, वह पूरा होगा ।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : Mr. Chairman, the present Bill has been brought before this House because of two reasons. One is that in the present state of affairs we have mounting arrears in the Delhi High Court because all cases whose value exceeded Rs. 25,000 have been transferred from district courts to the High Court. Previously the position was that all original cases were tried in district courts and before the Sub Judges irrespective of their valuation, that is, irrespectlve of the amount involved in the case. But the Government thought that this being a city and the jurisdiction of the High Court being mainly confined to the city, there was a chance of corruption at the lower strata ; therefore, they gave original jurisdiction to the High Court for Rs. 25,000 and above.

The motive was good but the result has been unexpected. This is a commercial town and fairly large number of the cases have a valuation of above Rs. 25,000 ; so, the High Court has been blocked by original cases. In our country there are only three High Courts—Calcutta, Madras and Bombay—which have original jurisdiction ; the rest of the High Courts are only or basically appellate jurisdiction courts.

The object which was tried to be achieved failed because, firstly, we have not been able to cope with the amount of work and, secondly, we have not appointed the requisite number of Judges. When we had given original jurisdiction to the Delhi High Court, at the same time we should have increased the number of Judges to 20 or 30, which was not fesible so far as Delhi was concerned.

Therefore I submit that either the Delhi High Court should be put back to the same position as majority of the High Courts in India have—for example, Allahabad, Andhra, Punjab and so on and so forth—that is, the High Court should be given only appellate jurisdiction or original jurisdiction should be given to the Delhi High Court just like the Bombay High Court, the Madras High Court or the Calcutta High Court. This mid-way position, that is, raising the value of case, does not help because it only means that the richer sections get the benefit of the High Court whereas the poorer sections whose cases are bound to be of a lesser value will have to go to the lower courts like the District Judges and the Subordinate Judges. If the principle is that justice given by the lower hierarchy of courts is equally good, there is no reason why cases of higher value should go to the High Court. If the principle is that justice available in the High Court and in the lower courts is the same, then why should valuation be the test for giving original jurisdictlon to the High Court ? But if it is considered that justice cannot be given in e better way in the lower strata of courts, those courts should be abolished. Why should you give jurisdiction to a court which you do not trust ?

Therefore my submission is that justice should be given equally to the rich and the poor and the principle behind this particular object that cases of higher valuation should go to the High Court, is wrong. Cases should go first to the trial courts, that is, the lowest strata of courts, and then to the High Court.

The High Court should remain only a court of appellate jurisdiction, not a court of original jurisdiction.

[Shri Vikram Chand Mahajan]

We find there are too many arrears in the High Courts. The reason is not far to seek. Not only the Central Government but also the State Governments are passing new Acts at a terrific speed and the result is that every Act gives rise to numerous cases and there are mounting arrears in the courts. What I submit is that the tempo of the turn-out of new legislations should be reduced. We find that new taxes are being levied, for example, the sales tax, the new excise duties and other taxes. There are authorities who decide the cases. The administration commits mistakes and the result is that courts are practically bogged down with a number of writ petitions, because of lacuna in sales tax law, in income-tax law, etc.

What I submit is, the one way by which we can meet the mounting arrears in the courts is to increase the number of judges according to the number of Acts passed because when you pass an Act, you create a problem and that means the number of cases in courts will go up. When you pass an Act, that means there will be contravention of the Act by some people. The time has come when the entire system has to be reviewed. At the same time, we have to see that for every Act that is passed. there is a proper judical tribunal appointed along with it so that the tribunal decides judicially the problems or the cases arising out of those Acts, so that the High Courts, the civil courts and other subordinate courts are not bogged down with litigation. This is the only way by which you can reduce the arrears in the courts. Otherwise, with mounting arrears, you can increase the number of judges but pou cannot increase it to the extent that is needed and, ultimately, the Parkinson's law will prevail, that is, the more judges you appoint the more work increases.

My submission is that you appoint a judicial tribunal with every Act that you pass ; secondly, you increase the number of judges to a certain extent ; thirdly, you do not give to the High Courts the original jurisdiction and, fourthly, you should not pass the Acts hurriedly and that they should have a provision which creates a judicial tribunal so that the amount of litigation in the High Courts and in the higher courts, is reduced.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Mr. Chairman, Sir, I have no desire to impute any motive to the High Court judges. But I fully support what has been said by my hon. friend. Shri B. P. Mandal when he said that he expects from the High Court judges that they realised at least the privileges enjoyed by the Members of Parliament and that they do not fall a prey to the whole affair of Shankaracharyya of Puri and issue summons to the Members of Parliament, including the ex-Speaker of the Lok Sabha.

I do not know under what law, they thought it fit to issue summons The other day, the Law Minister while intervening in the debate said that this is customary and that some clerk or somebody issues summons but we should not take it seriously. The summons are issued by the High Court. Do you mean to say that the Members of Parliament should not take it seriously ? Ultimately, the High Court judges in their wisdom dismissed the case.

So, I would request the High Court judges to use their discretion. We do not want to interfere with the judiciary, and at the same time we expect the High Courts not to interfere with the privileges of this House. In the 'Statement of Objects and Reasons' it is said :

> "In the interest of speedy disposal of work in the High Court, it is proposed to raise the limit specified in section 5(2) from Rs. 25,000 to Rs. 50,000."

Another proposal has come from my learned friend, Mr. Tyagi ; he wants to raise it to Rs. 1 lakh. Aa has been pointed out by my hon. friend, Mr. Goyal, in the last three or four years in the Delhi High Court nearly 50,000 cases have been pending. It is really a matter of shame for us that once a person goes to the High Court, it takes at least two or three or five years and in certain cases even ten years, to get the decision. Sometimes persons who go to the High Court have to breath their last without getting the decision of the High Court. Justice delayed is as good as justice denied. So, some measures should be taken to see that the cases are disposed of as expeditiously as possible. We may raise the limit from Rs. 25,000 to Rs. 50,000 or to Rs. 30,000 as suggested by Mr. Shiva Chandra Jha or even

to Rs. 1 lakh. But is it going to reduce the cases? What is the condition in the lower courts? What is the condition even in the Supreme Court? So many cases are pending and people do not get justice for years together.

Another point is this. I would like to support my hon. friend, Shri Shiva Chandra Jha, when he said that justice should not be so expensive. Now what is happening? If you go to the High Court, unless you engage a top lawyer who is well known for his legal practice, etc., the case will not be heard even ; it may be dismissed at the very initial stage. If that is the standard, I do not know how poor persons like many of the government employees or even non-government employees who are fighting the big bosses in the private sector and also fighting the Government for getting justice, can possibly approach it. As you know, under article 226, an employee who has been denied justice, natural justice or social justice, can possibly approach the High Court ; he can move a writ in the High Court. Unless he goes to Mr. N. C. Chatterjee or Mr. Setalvad or some eminent lawyer, there is very possibility that the case may not be heard and it may be dismissed.

A solemn promise was made in this House by the former Law Minister, Shri A. K. Sen, that free legal aid would be given to the poor people, I want to know where is that scheme. Even a condemned prisoner, if he wants to go to the Supreme Court for appeal, is not given the top lawyer. And if he wants to engage a top lawyer, he has to pay through his nose, he has to mortgage his property, his wife's ornaments have to be sold, he has to beg or borrow or steel. Now what has happened to that scheme which the former Law Minister has promised? We were promised that the scheme would be implemented very soon. I want to know from the hon Minister what has happened to that.

With these words, I support the Bill. This may reduce the burden of the High Court, but some other measures have also to be found so that the burden of the High Court may be still reduced and the common man gets justice in time without having to wait for some years.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): When the original civil jurisdiction of the High Court was sought to be raised, Government consulted the Chief Justice of the High Court and also the Chief Justice of the Supreme Court. As a matter of fact, this idea emanated from the Chief Justice of the Delhi High Court. Hon. members have given amendments to the effect that it should be raised to Rs. 1 lakh because the limit would be too low. But the lower courts would be burdened with more work which we want to avoid. We are also following an all-India pattern in this, In the Bombay City, the civil jurisdiction is Rs. 10,000. In Calcutta it is also Rs. 10,000 and in Bombay this can be enhanced upto Rs. 25,000. In Madras the State Government has the power to enhance the jurisdiction of the City Civil Court upto Rs. 50,000.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may continue his speech tomorrow. It is 5 O'clock now. We shall take up the discussion under Rule 193.

17.00 hrs.

DISCUSSION RE. SCHOLARSHIPS FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES STUDENTS

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, पिछले कुछ सालों से हरिजन और आदिवासियों के पिछड़ेपन को सुधारने के लिए तालीम के मैदान में कुछ तरक्की हुई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहां की नोकरशाही को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता बल्कि इस साल से यकलख्त ही तालीमी इमदाद को वापस लेने का एक किस्म का षडयंत्र बनाया और यह षडयंत्र महज तालिम के मैदान तक ही महदूद नहीं है सर्विसेज में भी पुरानी रियायतें वापस ले ली गई हैं। लेकिन मैं सर्विसेसेज का जिक्र इस वक्त नहीं करना चाहता हूं और तालीम का भी कितना ही लम्बा मामला है, उसका भी मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता। इस समय में सिर्फ वजीफों का जिक्र करना चाहता हूं। पिछले साल तक गवर्नमेंट आफ इंडिया के आर्डरस के